

विधायी कार्य/परम अग्रता

विषय:- हरियाणा विधान सभा के आगामी अधिवेशन के लिये सरकारी विधायी कार्यक्रम की तैयारी।

—:—:—:

क्या सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार कृपया उपरोक्त विषय की ओर ध्यान देने का कष्ट करेंगे ?

2. हरियाणा विधान सभा का आगामी अधिवेशन **25 अक्टूबर, 2024 को प्रात 11.00 बजे बुलाया गया है**। उसकी तैयारी के सिलसिले में उनसे अनुरोध है कि अपने अधीन सभी विभागों से सम्बन्धित विधायी कार्य के बारे में तुरन्त जांच करवा लें तथा जिस भी नये अधिनियम की आवश्यकता हो या जिस किसी अधिनियम में संशोधन करना हो, उसके प्रस्ताव को तुरन्त अंतिम रूप दें और बिना किसी विलम्ब के सक्षम प्राधिकारियों की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाये। उनसे यह भी अनुरोध है कि इस सत्र के दौरान उनके विभागों से सम्बन्धित जो भी सूचनायें व अन्य कागज पत्र विधान सभा में प्रस्तुत किये जाने हैं उन पर भी कार्रवाई पूर्ण कर ली जाये और इस बारे में संसदीय कार्य विभाग (राजनैतिक शाखा में) को दिनांक 23 अक्टूबर, 2024 तक अवश्यमेव सूचित किया जाये। यह सूचना समय पर न आने पर यह समझ लिया जायेगा कि उन द्वारा कोई भी सूचना नहीं दी जानी है और सरकारी विधायी कार्यक्रम तदनुसार तैयार कर लिया जायेगा। बाद में यदि किसी स्तर पर यह ध्यान में आया कि विधान सभा को भेजी जाने वाली सूचना सचिव, हरियाणा विधान सभा को या इस विभाग को समय पर नहीं भेजी गई तो उसकी जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रशासकीय सचिव की होगी।

3. उनसे यह भी अनुरोध है कि अपेक्षित बिलों/विधान सभा में प्रस्तुत किये जाने वाले कागजों की 6-6 प्रतियां Bare Act सहित राजनैतिक शाखा को विशेष वाहक द्वारा उपरोक्त तिथि तक अवश्य भिजवा दी जायें ताकि सरकारी विधायी कार्यक्रम समय पर तैयार किया जा सके। बिलों के सम्बन्ध में कृपया निम्नलिखित सूचना अवश्य दी जाये:-

- i. बिल का टाइटल
- ii. बिल के उद्देश्यों एवं कारणों का संक्षिप्त विवरण। **(यह सूचना देनी अत्यावश्यक है)**
- iii. क्या बिल मनी बिल है या नहीं ?
- iv. क्या बिल राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश के स्थान पर तैयार किया जाना है ? यदि ऐसा है, तो अध्यादेश का ठीक टाइटल बताया जाये व अध्यादेश की प्रतियां भी साथ लगाई जायें।

- v. क्या बिल का प्रारूप विधायी विभाग द्वारा तैयार किया जा चुका है, या नहीं, यदि नहीं तो प्रारूप तैयार किये जाने में कितना समय लगेगा ?
- vi. यदि बिल को विधान सभा में प्रस्तुत करने के लिये सक्षम प्राधिकारियों का अनुमोदन प्राप्त किया जा रहा है तो अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जाने वाले आवश्यक ज्ञापन की प्रतियां भी भेजी जायें।

4. हरियाणा विधान सभा विधि तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 122 के अन्तर्गत विधान सभा में प्रस्तुत किये जाने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने के लिये 15 दिन का नोटिस दिया जाना होता है। यदि किसी कारण 15 दिन का नोटिस या विधेयक को विधान सभा में कम से कम 15 दिन पहले भेजना सम्भव न हो तो इसके कारण विशेष रूप में विधान सभा को विधेयक भेजते समय स्पष्ट किये जाये। यह सुनिश्चित किया जाये कि ऐसे हालात में विधेयक विधान सभा सचिवालय को कम से कम 7 दिन पूर्व अवश्य भेज दिये जायें ताकि सदस्य चर्चा के लिए विधेयक का अध्ययन कर सकें तथा विधान सभा सचिवालय द्वारा विधेयक, सदस्यों के बीच, समय रहते परिचालित किया जा सके।

5. विधान सभा में प्रस्तुत/पुनः प्रस्तुत किये जाने वाले सभी दस्तावेजों, (सिवाय अध्यादेशों एवं बिलों के) जो कि अधिवेशन के दौरान सदन के पटल पर रखे जाने हैं, के प्रत्येक दस्तावेज की 5-5 प्रतियां तथा अध्यादेशों की 200-200 प्रतियां हिन्दी व अंग्रेजी में (एक-एक प्रमाणित प्रति सहित) एवं बिलों की एक-एक प्रमाणित/जॉची गई प्रति हिन्दी व अंग्रेजी में एवं तीन-तीन प्रतियां (राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित) हिन्दी व अंग्रेजी में हरियाणा विधान सभा सचिवालय को भिजवा दें एवं इनकी एक-एक प्रति हिन्दी व अंग्रेजी में नेवा पोर्टल पर भी अपलोड करें व सभी दस्तावेजों की 15 प्रतियां मुख्य मंत्री सचिवालय, एक-एक प्रति संसदीय कार्य मंत्री व तथा 6 प्रतियां संसदीय कार्य विभाग (राजनैतिक शाखा में) को विशेष वाहक द्वारा तुरन्त भिजवा दी जायें। इसके अतिरिक्त (Bare Act) की प्रतियों को विधान सभा में ना भिजवाया जाये क्योंकि संशोधित होने वाले अधिनियम का अनुबंध प्रस्तावित संशोधन विधेयक के साथ पहले ही लगा होता है तथा आवश्यकता होने पर सम्बन्धित विभाग से विधान सभा द्वारा (Bare Act) की मंगवाई जा सकती है।

इसी प्रकार सभी दस्तावेजों, सरकारी प्रस्ताव/विधान सभा प्रश्नों/स्थगन प्रस्तावों/ध्यानकर्षण नोटिस आदि के उत्तरों की प्रतियां समय पर विधान सभा में भिजवा दी जायें ताकि यह विधान सभा सचिवालय द्वारा विधान सभा के सदस्यों को समय रहते उपलब्ध करवाई जा सके।

6. इसके अतिरिक्त मंत्रिपरिषद द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी को सौंपी गई शक्तियों के तहत विधेयक अनुमोदन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत किए जाते हैं, वह मुख्य सचिव जो कि सचिव, मंत्रिपरिषद हैं, के नाते मुख्य सचिव महोदय के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए।

7. अध्यादेश की प्रतियां हरियाणा विधान सभा को उनके ई-मेल आई-डी legislative.vs-hry@gov.in पर भी तुरन्त भेजी जानी हैं व इस मामले में सरकार के पत्र क्रमांक 3/8/2010-1 पोल दिनांक 29 फरवरी, 2016, जिसकी प्रति csharyana.gov.in

पर political and parliamentary affairs में उपलब्ध है, की अनुपालना सुनिश्चित की जाये ।

8. विधान सभा में प्रस्तुत/पुनः प्रस्तुत किये जाने वाले सभी दस्तावेजों, सरकारी प्रस्ताव/ विधान सभा प्रश्नों/स्थगन प्रस्तावों/ध्यानकर्षण नोटिस आदि को NeVA Portal पर भी अपलोड करें ।

उपरोक्त हिदायतों की दृढ़ता से पालना की जाये ।

अशोक

अधीक्षक संसदीय कार्य

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।

अशा0 क्रमांक 1/10/2009-1सं0 का0

दिनांक चण्डीगढ़ 22.10.2024

पृ0 क्रमांक 1/10/2009-1 सं0 का0

दिनांक चण्डीगढ़ 22.10.2024

एक प्रति सचिव, हरियाणा विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाती है ।

अशोक

अधीक्षक संसदीय कार्य

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।